

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री राजेश ऋषि

दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 66

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	जनकपुरी के शिव नगर सोम बाजार रोड पर एमसीडी के एमसी प्राइमरी स्कूल की जमीन की क्या माप है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनकपुरी के शिव नगर की भूमि का माप लगभग 650 गज है जिसमें 5 वीं तक का विद्यालय चल रहा है ।
ख	क्या यह सत्य है कि इस स्कूल में पार्क या खेलने का मैदान रहा है; विस्तृत विवरण क्या है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम वर्तमान में विद्यालय परिसर में बच्चों के खेलने हेतु छोटी खुली जगह उपलब्ध है।
ग	जनकपुरी में एमसीडी के पार्कों की संख्या, इनकोचमेंट हुए पार्कों की संख्या व कितने पार्कों पर टैण्ट वालों का कब्जा है, पूर्ण विवरण क्या है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनकपुरी में एमसीडी के पार्कों की संख्या -250 है । जनकपुरी के किसी भी पार्क में अतिक्रमण नहीं है । जनकपुरी के किसी भी पार्क में टैण्ट वालों का कब्जा नहीं है ।
घ	जनकपुरी के वार्ड-15 एस और वार्ड-16 एस में कितने एमसीडी के दिव्यांग बूथ हैं तथा इनमें से कितने वैध और कितने अवैध हैं, पूर्ण विवरण क्या है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनकपुरी के वार्ड 15-एस. में 11 और 16-एस. में 6 वैध दिव्यांग बूथ हैं । अवैध बूथों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
ङ	जनकपुरी में वार्ड 18- एस में कितने गन्ने के कोल्हू, कितनी गन्ने के रस की दुकानें हैं और कितनी सड़क पर अवैध दुकानें हैं,	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनकपुरी के वार्ड 18-एस में 8 गन्ने के कोल्हू हैं । जो गन्ने के रस की बिक्री कर रहे थे । इनको विभाग द्वारा सीजड किया गया था । सड़क पर 6 खाने-पीने की अवैध दुकानें भी हैं । इनके खिलाफ विभाग द्वारा चालान किया गया है ।
च	इन्हें हटाने के लिए एमसीडी द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर रैड की जाती है । रैड के दौरान अखाद्य भोज्य पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है तथा खाद्य-पदार्थों की बिक्री में प्रयुक्त सामान जब्त किया जाता है ।
छ	अब तक एमसीडी द्वारा किस स्थान से कितनी दुकानें हटाई गई; इसका पूर्ण विवरण क्या है; और	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 'च' के अनुसार
ज	जनकपुरी में सी4ई मार्केट बेकरी शॉप, शिव नगर डीडीए मार्केट कवर्ड बरांडा, सी1, ए2ए जनकपुरी में बस शेल्टर पर बने कमरे, डी-24 तथा चाणक्या प्लेस-1 के पास पार्क हो रहे अवैध निर्माण का पूरा ब्यौरा क्या है ?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जैसे ही भवन विभाग के समक्ष कोई अवैध निर्माण से संबंधित मामला संज्ञान में आता है तो डीएमसी एक्ट के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जाती है और इस क्षेत्र में अवैध निर्माण/ अनाधिकृत क्षेत्र से संबंधित सर्वे करेंगे तथा उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी । तत्काल में C4E बेकरी शॉप के आस-पास अतिक्रमण मैनटेनस विभाग द्वारा 02.05.2018 को कार्यवाही कर दी गई ।


R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat